न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

RAAJodhpur2020-00033RTA223 08-2020 Ramsingh Vs Gajendrasingh ors

1. रामसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह
2. करणसिंह पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह
3. संजूकंवर पुत्री गजेन्द्रसिंह पत्नी मानसिंह
4. दिलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
5. भंवरकंवर पुत्री उम्मेदसिंह
   जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण रावणा राजपूतो का बास, बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
6. प्रबंधक सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधुपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 03 जनवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 65/2018 रामसिंह बनाम गजेन्द्रसिंह वगैरह

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री उम्मेदसिंह चौहान, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन व पांच

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 15 अक्टू. 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2018 रामसिंह बनाम गजेन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 03 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात् उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई एवं उसकी गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट्स के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिये गये व विचारण न्यायालय ने जल्दबाजी में फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव पेश होने के बाद अपीलार्थी को सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया तथा निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही रेस्पोडेंट्स के प्रार्थना पत्र पर पेशी नजदीक लेकर निर्णय कर दिया गया जिस प्रार्थना पत्र की कोई नकल भी अपीलार्थी को नही दी गई इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय नैसंर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव बनाते समय संबंधित नियमों की पूर्ण रुप से अनदेखी की है सामलाती कुए पर आवागमन हेतु कोई रास्ता विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नहीं रखा गया जबकि कुए तक पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना जरूरी था। सामलाती कुए के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया जबकि कुए से पानी लेकर सिंचाई करने हेतु दिन अथवा घंटे का निर्धारण किया जाना चाहिए था। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावें। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावें तथा विवादग्रस्त भूमि में आवागमन में रास्ते प्रदान किये जाने तथा कुए के पानी का उचित विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के कब्जे-काश्त अनुसार तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव में रास्ते एवं कुए के पानी के विभाजन के संबंध में विरोधाभास होने पर संशोधित विभाजन प्रस्ताव मंगवाने में अपनी सहमति प्रदान की।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत गहन अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर उठाए गये बिंदुओ/एतराजात पर विचार किया गया। विभाजन प्रस्ताव के संबंध में मुख्य एतराज है कि विभाजित जोत में रास्ते का प्रावधान नहीं रखा गया है तथा न ही कुंए (नलकूप) के पानी के उपयोग के संबंध में कोई आदेश प्रदान किये गए है।

शेष विभाजन प्रस्ताव कब्जे काश्त अनुसार होने से मौके-कब्जे के संबंध में कोई विवाद नहीं होना जाहिर किया गया।

उभय पक्ष के निश्चयानुसार संशोधित ''विभाजन-प्रस्ताव'' प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया जिस स्वीकार किया गया। आर.आई. बोरुंदा व हल्का पटवारी से संधोधित विभाजन प्रस्ताव, जिसमें रास्ते का प्रावधान रखते हुए तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में संशोधित विभाजन प्रस्ताव वाट्सएप पर भिजवाया जिसकी कॉपी प्रिंट करके उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को अवलोकनार्थ दी गई। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार कर इसके अनुसार निर्णय/डिक्री पारित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

उभय पक्ष के द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किये जाने के आदेश दिये जाते है: -

<u>संशोधित बंटवाड़ा प्रस्ताव</u>

ग्राम बोरुंदा के खसरा नं. 1850/1, 1851/1, 1866/3

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टे.)	किस्म	लगान (रु.)
1	दिलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति रावणा राजपूत	1850/1 1851/1, 1866/3	0.3887 0.6472 0.4450	बारानी A बारानी I बारानी IV	1.934 3.134 .425
	कुल	3	1.4809		5.50
2	भंवर कंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति रावणा राजपूत	1850/1 1851/1, 1866/3	0.3887 0.6472 0.4449	बारानी A बारानी I बारानी IV	1.934 3.134 .425
	कुल	3	1.4808		5.50
3	गजेन्द्रसिंह पुत्र	1850/1	0.0991	बारानी A	.493

	उम्मेदसिंह जाति रावणा राजपूत	1851/1, 1866/3	0.1618 0.1113	बारानी I बारानी IV	.784 .106
	कुल	3	0.3722		1.38
4	संजू कंवर पुत्री गजेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत	1850/1 1851/1, 1866/3	0.0992 0.1618 0.1112	बारानी A बारानी I बारानी IV	.493 .784 .106
	कुल	3	0.3722		1.38
5	करणसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत	1850/1 1851/1, 1866/3	0.0992 0.1618 0.1112	बारानी A बारानी I बारानी IV	.493 .784 .106
	कुल	3	0.3722		1.38
6	रामसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत	1850/1 1851/1, 1866/3	0.0991 0.1618 0.1113	बारानी A बारानी I बारानी IV	.493 .784 .106
	कुल	3	0.3722		1.38
7	गजेन्द्रसिंह, दिलीपसिंह पिता उम्मेदसिंह, भंवरकंवर पुत्री उम्मेदसिंह, रामसिंह, करणसिंह, पिता गजेन्द्रसिंह, संजू कंवर	1850/1 1851/1, 1866/3	0.0800 0.0404 0.0485	बारानी A बारानी I बारानी IV	.400 .196 .046

	पुत्री गजेन्द्र जाति रावणा राजपूत				
	कुल	3	0.1689		.64

तहसीलदार पीपाड़ शहर उपरोक्त संशोधित विभाजन प्रस्ताव अनुसार जोत का विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर नक्शा लठ्ठा में तरमीम करे साथ ही नामांतरकरण की पुश्त पर भी तरमीम अक्श अंकित करें। **नलकूप के जल के उपयोग के संबंध में क्रमशः अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 के साथ सयुक्त रूप से, रेस्पोडेंट संख्या 4 तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 समान रूप से (1/3,1/3,1/3 हिस्सा) हिस्सेदार होंगे।**

संशोधित विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/x/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर